न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 372 / 2024
अनवान : –

1. पवन दत्तक पुत्र हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील व जिला चुरू हाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ज्ञानकंवर पत्नी हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील व जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 647 / 546 की कुल 4.0610 हैक्ट भूमि जो की हनुमान सिंह पुत्र सुरजमाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र सुरजमाल सिंह का देहांत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है हनुमान सिंह उर्फ मानसिंह पुत्र सुरजमाल सिंह ने अपने जीवन काल में दिनांक 11.05.2010 को खोले ले लिया था तथा खोलानामा चुरू से तस्दीक करवा लिया है। इसलिए हनुमान सिंह उर्फ मानसिंह के विधि व प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी व प्रतिवादी स0 1 उत्तराधिकारी एवं वारिसान है। वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं हनुमान सिंह पुत्र सुरजमाल सिंह जमाबंदी से नाम कलमजन करवाकर वादी वादग्रस्त भूमि अपने नाम व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 3 बारानी खाता संख्या 647 / 546, चित्रप्रति गोदनामा चित्रप्रति शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता हनुमान सिंह पुत्र सुरजमाल सिह के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है हनुमान सिंह उर्फ़ मान सिंह पुत्र सुरजमाल सिंह का देहान्त हो चुका है। हनुमानसिंह पुत्र सुरजमाल सिंह ने पवनसिंह को गोद लिया था रजिस्टर्ड गोदनामा की चित्रप्रति संलग्न है। हनुमान सिंह उर्फ मान सिंह पुत्र सुरजमाल सिंह के जायज वारिसान शपथ पत्र व सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 647 / 546 की कुल 4.0610 हैक्ट भूमि जो की हनुमान सिंह पुत्र सुरजमाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हनुमानसिंह पुत्र सुरजमाल सिंह के नाम दर्ज है। हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र सुरजमाल का देहान्त हो चुका है उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र सुरजमाल ने जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा वादी को गोद लिया था। हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र सुरजमाल के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीया स0 1 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीया स0 1 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया सं0 1 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की चित्रप्रति एवं सजरा खानदान के अनुसार हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीया की सहमति के आधार प्रर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 647/546 की कुल 4.0610 हैक्ट भूमि मं मृतक हनुमान सिंह पुत्र सुरजमाल सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीया स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 372/2024
अनवान : –

1. पवन दत्तक पुत्र हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील व जिला चुरू हाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. ज्ञानकंवर पत्नी हनुमानसिंह उर्फ मानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील व जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 372 सन 2024 निर्णय दिनांक –27/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण कुमार एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 647/546 की कुल 4.0610 हैक्ट भूमि में मृतक हनुमान सिंह पुत्र सुरजमाल सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीया स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:59 IST
Reason: SelfAttested